अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 89/2024

वादीगण–

1. ब्रजमोहन सिंह राठौड़ पुत्र जवर सिंह राठौड
2. चेन सिंह जोधा पुत्र जवर सिंह जोधा
3. देवी सिंह पुत्र जवरसिंह
   जाति–राजपूत, निवासीगण–गुढारोहिली, तहसील–डेह, नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. जबरसिंह पुत्र नाथुसिंह
   जाति–राजपूत, निवासी–गुढारोहिली, तहसील–डेह, नागौर।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डेह।

उपस्थिति :–

1. श्री नरेन्दसिंह राठौड अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दशरथसिंह राठौड
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व नरेन्दसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दशरथ सिंह राठौड़ प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि–यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया मौजा गुढ़ारोहिली सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 65 व 229 की भूमि में वादीगण संख्या 1 से 3 को प्रतिवादी संख्या 1 जबरसिंह पुत्र नाथुसिंह के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी ब्रजमोहन सिंह राठौड़ के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में गांव गुढारोहिली का खेत खसरा नंबर 570/236 रकबा 5.7735 हैक्टेयर पूरा व खेत खसरा नंबर 195 रकबा 4.3139 हैक्टेयर में से 1.0252 हैक्टेयर पूर्वी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी चेनसिंह जोधा के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा गुढारोहिली का खेत खसरा नंबर 384/166 रकबा 6.7987 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

3. वादी देवी सिंह के हक बंट एवं खातेदारी में मौजा गुढ़ारोहिली का खेत खसरा नंबर 104 रकबा 7.0901 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 जबरसिंह के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा गुढ़ारोहिली का खेत खसरा नंबर 559/71 रकबा 5.9511 हैक्टेयर पूरा , खसरा नंबर 575/166 रकबा 2.1044 हैक्टेयर पूरा यथावत एवं खसरा नंबर 195 रकबा 4.3139 हैक्टेयर में से 3.2887 हैक्टेयर पश्चिमी भाग नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
5. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। (रहन होने की स्थिति में)
6. नजरीनवशा निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2024 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

तीजः – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.07.2024 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुसाय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्रे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner